

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2012-13/II/ 236 दिनांक: 17 अक्टूबर, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: महाविद्यालय में ह्यूमन राइट्स क्लब (**Human Rights Club**) बनवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के पत्रांक: प. 3 (13)रामाआ/2012/संस्था/6254 के संदर्भ में लेख है कि आप महाविद्यालय में ह्यूमन राइट्स क्लब (**Human Rights Club**) बनाये जाने की कार्यवाही करवायें, जिससे विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न हो सके।

भवदीय,

डॉ. निमाजी

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर